
 क.रा.बी.नि. ESIC	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of labour & Employment, Govt. Of India)	 सत्यमेव जयते	लेखा एवं वित्त शाखा -4 निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/ Directorate (Medical) Delhi 5वाँ & 6छठा तल कर्मचारी राज्य बीमा मॉडल अस्पताल बसईदारापुर, नई दिल्ली -110015 5 th & 6 th Floor, ESI Model Hospital Basaidarapur, New Delhi-110015
---	--	---	---

मिसिल संख्या:- डी.एम.ए.-19/13/2012/लेखा शाखा-4

दिनांक:- 24/12/2024

ज्ञापन

विषय:- क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/ ओखला/ रोहिणी/ झिलमिल /साहिबाबाद/नोएडा अस्पताल/ रोहिणी दंत महाविद्यालय के 10/2024 से 12/2024 के रिकार्ड की लेखा परीक्षा के संबंध में स्थानीय लेखा परीक्षा दल का दौरा कार्यक्रम।

स्थानीय लेखा परीक्षा दल-1 और 2 का दौरा कार्यक्रम दिनांक **01/01/2025 से 31/03/2025** तक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। लेखा दल-1 और 2 के अधिकारी/कर्मचारी निम्नलिखित विवरण के अनुसार संयुक्त रूप से आंतरिक लेखा परीक्षण का कार्य करेंगे।

क्रम. सं.	यूनिट का नाम	लेखा परीक्षा अवधि	दौरा कार्यक्रम की अवधि	अवकाश	कुल कार्यदिवस
1	नोएडा अस्पताल	10/24 से 12/24	01/01/25 से 13/01/25	05/01/25,12/01/25	11
2	रोहिणी अस्पताल	10/24 से 12/24	14/01/25 से 23/01/25	19/01/25	9
3	रोहिणी डेंटल कॉलेज	10/24 से 12/24	24/01/25 से 29/1/25	26/01/25	5
4	बसईदारापुर अस्पताल	10/24 से 12/24	30/01/25 से 18/02/25	31/01/25(LWD), 02/02/25,09/02/25, 16/02/25	16
5	साहिबाबाद	10/24 से 12/24	19/02/25 से 03/03/25	23/02/25,26/02/25, 28/02/25(LWD), 02/03/25	9
6	झिलमिल अस्पताल	10/24 से 12/24	04/03/25 से 15/03/25	09/03/25,14/03/25	10
7	ओखला अस्पताल	10/24 से 12/24	17/03/25 से 29/03/25	16/03/25,23/03/25, 28/03/25 (LWD), 30/03/25,31/03/25	11
कुल कार्यदिवस					71

लेखा दलों के अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

लेखा दल-1	लेखा दल-2
1) श्री भूप चंद, कार्यालय अधीक्षक 2) श्री दीवान सिंह, सहायक 3) श्री मनोज कुमार, सहायक	1) श्री राजेन्द्र, कार्यालय अधीक्षक 2) श्री बिजेन्द्र कुमार, सहायक 3) श्री बने सिंह हरोदिया, सहायक

संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि अपने कार्यालय का रिकार्ड अद्यतन करने की व्यवस्था करें ताकि लेखा परीक्षा का कार्य सुचारु रूप से निर्धारित समय से पूरा किया जा सके।

यह भी निवेदन है कि लेखापरीक्षा के दौरान अपने कार्यालय के पिछले लेखापरीक्षाओं से संबंधित सभी बकाया पैरों के अनुपालना/उत्तर संबंधित सत्यापित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें ताकि स्थिति पूर्ण रूप से पुर्ननिरीक्षित की जा सके तथा अधिक पुरानी आपत्तियों का निपटान उसी समय किया जा सके। ऐसा न किए जाने की स्थिति में निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली को वैयक्तिक रूप से ऐसी स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त लेखा दल के अधिकारियों को प्रत्येक अस्पताल के कार्यदिवस एवं कार्यालय समय के अनुसार लेखा परीक्षण करना होगा व प्रत्येक माह में निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली के अंतिम कार्यदिवस पर सभी लेखापरीक्षक एवं लेखानिरीक्षक को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा।

***नोट:-**

1. सभी चिकित्सा अधीक्षकों से निवेदन है कि लेखा दल के कर्मचारियों के बैठने की और लेखा परीक्षण के कार्य के सुचारु संचालन व रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य और ई-ऑफिस में कार्यवाही के लिए एक कम्प्यूटर, एक प्रिंटर और स्कैनर की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें।
2. सभी चिकित्सा अधीक्षक मुख्यालय के निर्देशानुसार वे अपने अस्पताल के आगे 04 सालों में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका लेखा दल को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि कर्मचारी के Promotion/MACP/ACP/Financial Upgradation इत्यादि मिलने के उपरांत वेतन निर्धारण के आदेशों का लेखा परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

यह पत्र निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

उप निदेशक (वित्त)

चिकित्सा अधीक्षक

क. रा. बी. अस्पताल,

..... दिल्ली/नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश।

उपर्युक्त दौरा कार्यक्रम सहित प्रतिलिपि प्रेषित

1. कार्यालय अधीक्षक, स्थानीय लेखापरीक्षा दल-1/2 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया पुरानी आपत्तियों के निपटान हेतु व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और अस्पताल के स्टाफ द्वारा असहयोग का कोई मामला होने की स्थिति में उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाएं।
2. उप निदेशक (प्रशा.), क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
3. उप निदेशक (वित्त), क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला/रोहिणी/नोएडा/साहिबाबाद/रोहिणी दंत महाविद्यालय।
4. लेखा शाखा - 1, 2 व 3, रोकड़ शाखा नि.(चि.)दि।
5. उप निदेशक (प्रशा.), स्थापना शाखा - 1, 2 व 3, नि.(चि.)दि।
6. वित्त आयुक्त, क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
7. ओ.एस.डी. (आई.टी.) - इस ज्ञापन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।